(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 13/2024
पंजीकरण संख्या :– 2024/30

बउनवान

1– राधेश्याम आयु 60 वर्ष पुत्र सत्यनारायण जाति राव राजपूत निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ
2– घनश्याम उर्फ सत्येन्द्र सिंह आयु 37 वर्ष पुत्र रघुवीर सिंह जाति राव राजपूत निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ

(अपीलांटगण)

बनाम

रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल जाति नायक निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ (राज.)

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, अटरू द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 03/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 24.01.2024 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री ओम प्रकाश मेहता अभिभाषक (अपीलांट कम 1 व 2)
2– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 31.05.2024

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 03/2022 बउनवान रामस्वरूप बनाम राधेश्याम वगै. मे पारित निर्णय दिनांक 24.01.2024 से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 23.02.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू से मूल पत्रावली तलब की गई जिसके प्राप्त होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील मेमो के तथ्यो को दौहराते हुये कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नही किया गया और न न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना व विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.01.2024 को पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नायब तहसीलदार माधोलाल बैरवा द्वारा पारित किया गया है जबकि उक्त प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, अटरू के समक्ष जेरकार था जिसका पद रिक्त होने के कारण नायब तहसीलदार माधोलाल बैरवा को अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ था, किन्तु न्यायिक कार्य का चार्ज नायब तहसीदार के पास नही था। इस प्रकार नायब तहसीलदार अटरू श्री माधोलाल बैरवा द्वारा [illegible] उक्त प्रकरण मे निर्णय पारित किया गया है, जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण मे दिनांक [illegible] किया गया था जिसके बाद दिनांक 18.08.2023 साक्ष्य अप्रार्थी हेतु [illegible] की गई थी, किन्तु तहसीलदार अटरू का पद रिक्त होने से उक्त पत्रावली मे आगे कोई कार्यवाही नही की गई। पूर्व [illegible] तहसीलदार योगेन्द्र यादव द्वारा कहा गया कि नायब तहसीलदार [illegible] न्यायालय आदेश का [illegible]कार नही है इस प्रकार तहसीलदार सीट पर नई नियुक्ति होने के बाद ही निस्तारण किया जावेगा। जिसके पश्चात अप्रार्थीगण/अपीलांटगण को कोई सूचना नही दी गई और न उनके अधिवक्ता को सुना गया। इस प्रकार नायब तहसीलदार अटरू द्वारा गलत रूप से न्यायालय तहसीलदार अटरू की हैसियत से निर्णय दिनांक 24.01.2024 पारित किया गया है जो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किये जाने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 12:30:46 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण/अप्रार्थीगण की कोई साक्ष्य नही ली गई केवल निर्णय मे यह कहकर कि प्रकरण संख्या 01/2022 बउनवान राधेश्याम बनाम रामस्वरूप प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम, 1970 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बारॉ द्वारा निर्णय दिनांक 29.09.2023 से खारिज किया जा चुका है किन्तु उसके बाद अपीलांटगण को किसी भी प्रकार की सूचना नही दी गई जबकि अपीलांटगण द्वारा निर्णय दिनांक 29.09.2023 की अपील माननीय संभागीय आयुक्त कोटा केम्प बारॉ मे की हुई है जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.02.2024 नियत है। इस प्रकार नायब तहसीलदार अटरू माधोलाल बैरवा द्वारा गलत रूप से उक्त निर्णय दिनांक 24.01.2024 खिलाफ कानून पारित किया गया है जो काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त आवंटित विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से ही अपीलांट व उसके पूर्वजो का निरन्तर आज तक कब्जा काश्त है, प्रकरण मे भू आवंटन नियम 1970 की शर्तो की पालना वर्ष 1997 से आज तक नही हुई। अपीलांट के खाते की भूमि से मिली हुई भूपट्टी के रूप मे भूमि है इसलिए अपीलांट को आवंटन होना चाहिये। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 03/2022 बउनवान रामस्वरूप बनाम राधेश्याम मे पारित निर्णय दिनांक 24.01.2024 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि पूर्व मे भी अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम, 1970 के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था, जो प्रकरण संख्या 01/2022 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णय दिनांक 29.09.2023 से खारिज किया गया था क्योंकि अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। रेस्पोडेन्ट जाति से नायक है जिसको आवंटन हुआ है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2024 की पटवारी रिपोर्ट दिनांक 03.05.2024 के अनुसार अपीलांट को कब्जा सम्भलाया जाकर पालना की जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट मे विद्यमान प्रावधानो के अनुरूप निर्णय पारित किया गया है, जो सही है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू के द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 03/2022 बउनवान रामस्वरूप बनाम राधेश्याम वगै. मे पारित निर्णय दिनांक 24.01.2024 का अवलोकन किया गया। अपीलांट का कथन है कि आवंटित विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से ही अपीलांट व उसके पूर्वजो का निरन्तर आज तक कब्जा काश्त है, प्रकरण मे भू आवंटन नियम, 1970 की शर्तो की पालना वर्ष 1997 से आज तक नही हुई। अपीलांट के खाते की भूमि से मिली हुई भूपट्टी के रूप मे भूमि है इसलिए अपीलांट को आवंटन होना चाहिये। इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2022 बउनवान राधेश्याम बनाम रामस्वरूप प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम, 1970 मे पारित निर्णय दिनांक 29.09.2023 से खारिज किया गया है। जिसकी अपील माननीय संभागीय आयुक्त कोटा केम्प बारॉ मे की हुई है, जो वर्तमान मे विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि 1997 में आवंटन हुई थी जिसको खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है और दिनांक 03.05.2024 को पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त विवादित आराजी पर दखल भी दिया जा चुका है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट मे प्रावधानो के अनुरूप निर्णय पारित किया गया है, जो सही प्रतीत होने से यह न्यायालय उक्त निर्णय को यथावत रखा जाना उचित समझता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 03/2022 बउनवान रामस्वरूप बनाम राधेश्याम वगै. मे पारित निर्णय दिनांक 24.01.2024 यथावत रखा जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 12:30:46 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ